संख्या: 4/2018/525/12-2-2018-बजट.1/2009

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2018**

विषय: विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना (वर्ष 2017-18 से 2021-2022 तक) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 433/कृर0/आठ योजना/की0रो0 नि0यो0/2017-18 दिनांक 21 जून, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की बढती जनसंख्या के खाद्यान्नों की प्रतिपूर्ति हेतु कीट, रोग एवं खरपतवार की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति वर्ष फसलों में कीट, रोग तथा खरपतवारों आदि द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत क्षति होती है जिसमें लगभग 33 प्रतिशत खरपतवारों, 26 प्रतिशत रोगों, 20 प्रतिशत कीटों, 7 प्रतिशत भण्डारण के कीटों, 6 प्रतिशत चूहों तथा 8 प्रतिशत अन्य कारक सम्मिलित हैं। अत: प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कारणों से फसलों में होने वाली क्षति को कम किए जाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करते हैं:-

<u>योजना के मुख्य उददेश्य:</u>

(अ) बायोपेस्टीसाइड एवं बायो एजेन्ट के उत्पादन एवं वितरण में गुणात्मक अभिवृद्धि की जायेगी।

(ब) रसायनिक कृषि रक्षा रसायनों के वितरण में लाल श्रेणी में वर्गीकृत (सबसे अधिक जहरीले रसायनों) पर अनुदान न दिया जाय और क्रमश: कम जहरीले रसायनों को ही अनुदान की परिधि में रखा जाय। चूहा नियंत्रण एवं अन्य भण्डारण हेतु धूमक रसायन लाल श्रेणी के हैं, जिसमें अभी उचित विकल्प उपलब्ध नहीं हैं अत: केवल चूहा नियंत्रण एवं अन्य भण्डारण के लिए लाल श्रेणी में वर्गीकृत रसायन पर अनुदान पूर्ववत देय रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(स) बीज शोधन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाय ताकि अल्प व्यय में बीज जनित रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके।

(द) खरपतवार नियंत्रण हेतु अभियान के तौर पर कार्यवाही की जायेगी।

(य) फसलवार एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन (आईपीएम) प्रणाली के प्रयोगों को बढावा दिया जायेगा।

<u>योजना की कार्य मदें:-</u>

<u>(1) आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइडस/बायो एजेन्टस का उत्पादन:-</u>

कृषि विभाग द्वारा 09 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है जिनके द्वारा बायोपेस्टीसाइडस यथा ट्राइकोडरमा हारजियेनम, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0, स्यूडोमोनास फलोरीसेन्स, मेटाराइजियम एनिसोप्ली, वर्टिसिलियम लैकानी एवं बायोएजेन्टस यथा ट्राइकोग्राम कार्ड का उत्पादन किया जा रहा है। अत: वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-2022 तक इन प्रयोगशालाओं में उत्पादन के निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य (संलग्नक-1) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा आगामी वर्षो में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य बजट की उपलब्धता एवं परिव्यय के आधार पर पुनर्निधारित किये जायेंगे।

(2) <u>बायोपेस्टीसाइडस के वितरण पर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान:</u>

पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विषरहित खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत बायोपेस्टीसाइडस के प्रयोग में गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 में 0.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वितरण के लिए बायोपेस्टीसाइडस तथा बायोएजेन्टस अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे जिसे योजना के अन्तिम वर्ष तक 1.50 लाख हेक्टेयर तक बढाये जाने का लक्ष्य होगा। अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करने के उददेश्य से योजना के अन्तर्गत अनुदान 75 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत समस्त कृषक अनुदान के पात्र होंगे लेकिन प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जायेगी। इस कार्य मद के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य (संलग्नक-2) पर दिये गये है।

(3) <u>बीज शोधन हेतु बीज शोधक रसायन पर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान:</u>

कीट/रोग नियंत्रण को प्रभावी करने के दृष्टिकोण से एकीकृत नाशजीव प्रबंधन प्रणाली (आई0पी0एम0) को बढावा दिये जाने के उददेश्य से कृषकों द्वारा शोधित बीज प्रयोग न किए जाने के फलस्वरूप फसल बोने के उपरान्त रोगों का प्रकोप होने पर उनको नियंत्रित करना पडता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बीज को बोने से पहले उपचारित किया जाय तो बीजजनित रोगों का अल्प व्यय में ही नियंत्रण हेतु अभियान को बढावा दिया जायेगा।

वर्ष 2017-18 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.40 लाख हे0 क्षेत्रफल हेतु बीज शोधक रसायन उपलब्ध कराये जायेंगे जिसे वर्ष 2021-22 तक 0.60 लाख हे0 तक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बढाने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत केवल वही रसायन उपलब्ध कराये जायेंगे जिनका प्रयोग बीज शोधन के लिए होता है जैसे थीरम, कार्बेन्डाजिम, स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट आदि। योजनान्तर्गत बीज शोधक रसायन समस्त कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा लेकिन प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रदान की जायेगी। इस कार्यमद के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य (संलग्नक-3) पर दिये गये हैं।

(4) <u>लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान:</u>

लघु एवं सीमान्त कृषक आर्थिक कारणों से समय पर कीट/रोग नाशक रसायनों का उपयोग न कर पाने के कारण उनकी फसलों पर पडने वाले प्रभाव तथा कीट/रोग और बडे क्षेत्रों को प्रभावित न करने के दृष्टिगत लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता देने हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

जन स्वास्थ्य को देखते हुए लाल श्रेणी में वर्गीकृत रसायनों पर अनुदान नहीं दिया जायेगा। जैसे-जैसे पीले और नीले श्रेणी में वर्गीकृत रसायनों के ऐसे विकल्प उपलब्ध हो जायें जो हरे श्रेणी में वर्गीकृत हों तो क्रमश: पीले और नीले श्रेणी के रसायनों को अनुदान सूची से बाहर किया जायेगा। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के अन्तर्गत 1.95 लाख हे0 क्षेत्रफल के लिए अनुदान पर कृषि रक्षा रसायन वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों (संलग्नक-4) के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) <u>लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान:</u>

योजनान्तर्गत फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें मानव चालित कृषि रक्षा यंत्र पर अनुदान की सीमा रूपये 1500.00 तथा शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र पर अनुदान की सीमा रूपये 3000.00 प्रति यंत्र होगी। वर्ष 2017-18 में इस कार्यमद के अन्तर्गत 5000 कृषि रक्षा यंत्र निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों (संलग्नक-5) के अनुरूप उपलब्ध कराये जायेंगे।

(6) <u>लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्न सुरक्षा हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान</u>:

लघु एवं सीमान्त कृषकों को अपने उपयोग में आने वाले अन्न को सुरक्षित रखने के लिए विगत वर्षो में 2, 3 एवं 5 कुंतल की क्षमता की बखारियों का वितरण 50 प्रतिशत पर किये जाने तथा अच्छे परिणाम प्राप्त होने एवं कृषकों के मध्य इस बखारियों की मांग बढने के फलस्वरूप अन्न को सुरक्षित रखने में प्राप्त सफलता के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 में इस कार्यमद के अन्तर्गत 8200 बखारी वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों (संलग्नक-6) के अनुरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) अनुदान की उपरोक्त कार्य मदों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण, कीट/रोग के प्रकोप के सर्विलेंस, सहभागी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली एवं आई0पी0एम0 एवं कृषि रक्षा की नई तकनीकी की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी धनराशि व्यय की जायेगी।

(8) योजना विभिन्न कार्यक्रम में निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्नक-7) के अनुसार आगामी 05 वर्षो में निम्नानुसार रूपये 155.90 करोड की धनराशि व्यय की जायेगी:-

वित्तीय वर्ष	व्यय भार (धनराशि लाख रू0 में)
2017-18	2300.00
2018-19	2650.00
2019-20	3100.00
2020-21	3540.00
2021-22	4000.00
योग	15590.00

(9) योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष बजट एवं परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा एस0ओ0पी'एस तथा आपरेशनल गाइड-लाईन्स/प्रोसीजर जारी किया जायेगा ताकि गुणवत्तापूर्वक सेवाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके ताकि गुणवत्तापूर्वक सेवाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके तथा जो भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की गाइड-लाईन्स/बेस प्रैक्टिस के अनुरूप होगा।

5. उक्त योजना बजट प्राविधान की सीमा तक इस शर्त के अधीन है कि योजना का थर्ड-पार्टी मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में कराया जायेगा तथा लाभार्थियो की सूची विभागीय वेबसाइड पर डाली जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 4/2018/525 (1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या: 4/2/6/2016-सी0एक्स(1) दिनांक 6 फरवरी, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।